REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 6 | MARCH - 2024

"बुन्देलखण्ड के राज्यों की कम्पनी सरकार से संधियों का अध्ययन"

डॉ. स्वाति प्रीती
इतिहास विभाग,
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश :

बुंदेलखण्ड एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र है जो उत्तर भारत में स्थित है। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे खजुराहो, ओरछा और ग्वालियर। बुंदेलखण्ड के कुछ राज्यों में कम्पनी सरकारें हैं जो अपनी अन्य सरकारों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करती हैं। इन संधियों का अध्ययन करने से हमें इन सरकारों के बीच के संबंध, समझौते और सहमतियों की समीक्षा करने का अवसर मिलता है। यह अध्ययन हमें बुंदेलखण्ड के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और भू–राजनीतिक नीतियों को समझने में मदद करेगा। यह अध्ययन हमें बुंदेलखण्ड के राज्यों की कम्पनी सरकारों के बीच के संबंधों के पेशेवरीकरण, सुधार और विकास को समझने में मदद करेगा।

मुख्य शब्द – बुंदेलखण्ड, ऐतिहासिक, संधियां एवं भू–राजनीतिक नीतियां।

प्रस्तावना –

1803 से 1823 तक 20 बर्ष की अवधि में कम्पनी सरकार ने बुन्देलखण्ड के सभी छोटे–बडे स्थानीय एवं मराठा राज्यों से कम्पनी सरकार ने संधियों एवं समझौते के इकरार की धाराओं का सम्पादन बडी कुशलता व कूटनीति से किया कि राजाओं को कभी भी और किन्हीं परिस्थितियों में उसके विरूद्ध आचरण की गुजांइश न रही। चूँकि बुन्देलखण्ड के राजा मराठों से अंसतुष्ट थे, वे उनसे स्वतंत्र होना चाहते थे। अतः कम्पनी सरकार ने जो भी शर्ते राजाओं के समक्ष प्रस्तुत की, बिना भूत भविष्य सोचे राजाओं ने उन्हें स्वीकार कर लिया।[1]

कालिंजर, गौरिहार, रिबई, खड्डी, गरौली, और नैगुवाँ ऐसे राज्य थे जिनका आर्विभाव कम्पनी शासन के सत्तासीन होने के बाद हुआ था, इन राज्यों के संस्थापक शक्तिशाली स्वतंत्रता प्रिय अंग्रेजी सत्ता के विरोधी लोग थे। जिनका घाटियों में दमन आसान न था ऐसे लोगों को जगीरनुमा राज्य प्रदान कर आत्मसमर्पण करवा लिया गया व लूटपाट न करने के वचन लिया तथा राज्य की सीमा के बाहर कम्पनी की अनुमति के बिना न जायेंगे। कर्बी, बाँदा, मौध जैसे प्रभावशाली राजाओं के राज्य छीनकर पेंशन तथा कुछ संपत्ति देकर इतना कमजोर कर दिया कि वे भविष्य में अंग्रेजों के लिये कोई संकट पैदा न कर सकें।

कंपनी सरकार ने पश्चिमोत्तर बुन्देलखण्ड के शक्तिशाली स्थानीय बडें राज्यों से संधियाँ कर उनकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया और उनसे भी सहयोगी के रूप में सहायता देने का आश्वासन लिया। यद्यपि संधिया एक–दूसरे को मित्र मानते हुये समानता के स्तर पर की गई थी, पर वास्तविक तौर पे कम्पनी सरकार ने अपने को सर्वोच्च स्तर पर रखकर संधिकर्ता राजाओं को अपने अधीन माना।[2]

लार्डहेस्टिग्स ने कम्पनी को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से हस्तक्षेप की नीति अपनाई और राज्यों के आन्तरिक मामलों को राजाओं के अधिकार में छोड़कर विदेश नीति को कंपनी सरकार के नियन्त्रण में ले लिया।[3]

इस व्यवस्था के द्वारा राजाओं का बाह्य सम्पर्क खत्म हो गया। और कुशासन का आरोप लगाकर कम्पनी नें विलय नीति अपनाई।

लार्ड हेस्टिंग्स ने एक और नवीन नीति को जन्म दिया जो आधीनस्थ पृथक्करण व सहयोग की नीति कहलाई। इस नोति के माध्यम से कम्पनी सरकार जो पूर्व में राजाओ को सलाह देती थी अब आदेश देने लगी, और अपनी सर्वोच्चता प्रदर्शित करते हुये उनसे समझौते किये थे।[4]

विश्लेषण –

बुन्देलखण्ड पेशवा अधिकृत व प्रभावित क्षेत्र था। जिसके ओरछा, समथर, दतिया जैसे बड़े राज्य व पूर्वी बुन्देलखण्ड के सनद राज्य कम्पनी सरकार की अधीनता स्वीकार कर चुके थे।[5] लार्ड हेस्टिंग्स के पश्चात् लार्ड विलियम बैटिक सर चार्ल्स मेटकाफ लार्ड आकलैण्ड कम्पनी के गर्वनर जनरल रहे, इन्होंने कभी अहस्तक्षेप, कभी अवसरानुकूल हस्तक्षेप, कभी सुधारवादी नीति लागू की। किन्तु कम्पनी मूल उद्देश्य अपनी सर्वोच्च स्थिति को बनाये रखना था।[6]

ओरछा रियासत

विक्रमजीत सिंह (1776–1817 ई.)

1799 ई. में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के गवर्नर बनकर आये लार्ड वेलेजली ने युद्ध के स्थान पर भारत में स्थित देशी रियासतों को सहायक संधियों के कंपनी के प्रभाव क्षेत्र में लाने की नीति का संचालन किया, जिसके फलस्वरूप बुन्देलखण्ड में भी अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। विक्रमाजीत सिंह ने ओरछा रियासत को मराठों के आतंक से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से अंग्रेजों की ओर हाथ आगें बढ़ाने का निर्णय लिया और दोनों पक्षों के मध्य 23 दिसम्बर 1812 को एक सुरक्षा संधि हो गई।[7] इस संधि में निम्नलिखित व्यवस्थायें की गई–

1) ओरछा का राज्य उसके महाराजा विक्रमजीत सिंह तथा उनके वंशज उत्तराधिकारियों के आधिपत्य में बनाये रखने के लिये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी सरकार वचनबद्ध है।
2) ओरछा राज्य एवं कम्पनी सरकार एक–दूसरे के मित्र होंगे तथा एक–दूसरे के मित्र को मित्र तथा शत्रु को शत्रु मानेंगे।
3) कम्पनी सरकार ओरछा राज्य की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेगी।
4) ओरछा राज्य पूर्णत : कर मुक्त राज्य रहेगा।
5) ओरछा राज्य से कंपनी सरकार की सेना के गुजरने पर राजा कोई आपत्ति नहीं करेगा।
6) ओरछा राज्य के बाह्य विवादों में कंपनी सरकार का निर्णय अंतिम होगा तथा ओरछा महाराजा को मान्य होगा।
7) ओरछा महाराजा अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले घाटो राजमार्गा की सुरक्षा करेंगे।
8) ओरछा महाराजा किसी भी गैर अंग्रेज अथवा यूरोपियन को बिना कंपनी सरकार की अनुमति के अपने राजदरबार में सेवा पर नहीं रखेगा।

इस संधि को तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड मिण्टो एवं उसकी काउन्सिल ने 8 जनवरी 1813 को मान्यता प्रदान की।[8] इस संधि के पश्चात् तरीचर के समीप स्थिति पुतरीखेरा गाँव, जो कि दतिया राज्य के अर्न्तगत आता था, में बाघाट के जागीरदार सिंह द्वारा आग लगा दी गई जिसके कारण दतिया राज्य की ने उस पर आक्रमण कर दिया तथा गंधर्व सिंह के दो सौ सैनिकों को मार गिराया। दोनो राज्यो में 4 मई 1816 को युध्द छिड़ गया, जो बाघाट का युध्द कहलाता है। अतः ब्रिटिश कम्पनी के पॉलिटिकल एजेंट ने हस्तक्षेप करते हुए पंचाट दिया कि बाघाट एवं पुतरीखेरा दोनों क्षेत्र ओरछा राज्य के अर्न्तगत आते है, इसलिए उन पर ओरछा राज्य का आधिपत्य होगा। अन्तत : दतिया की सेनायें अपनी सीमा में लौट गई और युद्ध विराम हो गया।

छतरपुर रियासत :–

सोने जू पंवार (1785–1816) :–

सौने जू पँवार ने भी बुंदेलखण्ड़ के अन्य शासकों की भाँति अंग्रेजों के साथ संपर्क किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बुन्देलखण्ड़ में अपने प्रतिनिधि जाँन बेली के माध्यम से छतरपुर के साथ 4 अप्रैल, 1806 म एक समझौता किया, जिसकी निम्नलिखित धाराएँ थी –

1) मै कम्पनी सरकार के विरोधियों से सम्बंध न रखूँगा।
2) मैं कम्पनी राज्य के अपराधी भगोड़ों को राज्य से पकड़ कर कम्पनी सरकार को सौपूगाँ।
3) मैं किसी भी स्थिति में चोर–डाकुओं को राज्य में शरण नहीं दूंगा।
4) मैं कम्पनी सरकार के विरोधी राजा से सम्पर्क न रखूँगा तथा कम्पनी सरकार के मित्र राजओं से शत्रुता न रखूँगा।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने उपर्युक्त शर्तो के माध्यम से सौने जू पँवार के वचनों को स्वीकार करते हुए छतरपुर रियासत को एक सनद प्रदान की। सौनेजू पँवार ने 1812 ई. में अपने पाँच के मध्य कलह समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य बँटवारा कर कंपनी सरकार से उसका अनुमोदन चाहा तो कंपनी सरकार ने मामले की जाँच की, किन्तु कंपनी जल्द ही उसका निराकरण नहीं कर सकी। इसी बीच सोने जू पँवार को 1816 ई. में मृत्यु हो गई।

प्रताप सिंह (1816–54) :–

सोने जू द्वारा किया गया विभाजन कम्पनी सरकार ने अवैध घोषित कर दिया। उसके निर्णयानुसार उसके ज्येष्ठ पुत्र प्रताप सिंह को 4 मई 1816 को छतरपुर राज्य शासक बना दिया। प्रताप सिंह ने पारिवारिक कलह से बचने के लिये अपने भाइयों को भी जागीरे दी। तथा 15 जुलाई 1816 ई. को ईस्ट इंड़िया कम्पनी सरकार के साथ पुनः एक समझौता किया जिसमें उसने वचन दिया कि[9]–

1) मैं कम्पनी सरकार के विरोधियों एवं लुटेरों से कोई संपर्क नहीं रखूँगा।
2) मैं राज्य के अन्तर्गत आने वाले राजमार्गों एवं घाटों की सुरक्षा करूँगा।
3) मैं कंपनी सरकार के भगोड़ो अपराधियों को अपने राज्य से पकड़कर कंपनी सरकार को सौपूँगा।
4) मैं आवश्यकता पड़ने पर कंपनी सरकार को सहायता प्रदान करूँगा।
5) मैं जिन क्षेत्रों अथवा गाँवों पर मेरा अधिकार पुरातन सिद्ध नहीं हुआ तो उन पर दावा त्याग दूँगा।
6) मैं किसी ऐसे गाँव को अधिपत्य में लेने की चेष्टा नहीं करूँगा जिस पर मेरा कोई दावा नहीं बनता है।
7) मैं अथवा मेरा भाई किसी अन्य राज्य में कोई सेवा नहीं करेगा।
8) मेरा कोई विश्वस्थ साथी कंपनी सरकार के सेवा में रहेगा।[10]

प्रतापसिंह के अलावा उसने भी पूरक समझौते किए और अन्ततः उक्त समझौते पर 11 जनवरी 1817 ई. को तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड हेस्टिंग्स की स्वीकृति प्राप्त हो गई। प्रताप सिंह के राज्य की प्रशासनिक सुव्यवस्था से प्रसन्न होकर उन्हें बाँदा के बुन्देलखण्ड़ के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि कर्नर बैली ने प्रताप सिंह को 1827 में राजा बहादुर की उपाधि से विभूषित किया।[11]

जैतपुर राज्य :–

जैतपुर के शासक केसरी सिंह ने मराठों एवं अली बहादूर तथा हिम्मत बहादूर के आतंक से अपने राज्य को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजो के साथ मधुर संबंध बनाये। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कम्पनी सरकार ने जैतपुर के साथ 13 सितम्बर 1812 ई. को एक समझौता किया, जिसमें जैतपुर नरेश ने निम्न वचन दिया।

1) मैं कंपनी सरकार के मित्रों को मित्र तथा शत्रु का शत्रु समझूँगा।

2) मैं अपने में किसी भी प्रकार क चोर डाकुओं को शरण नही दूगाँ।
3) मै अपने राज्य के किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी सरकार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उपद्रव को दबाने के लिए बाध्यकारी हूँ।
4) मै अपने राज्य में निर्धारित संख्या में ही घोडे एवं सेना रखूगाँ।
5) मै अपने राज्य में यदि कंपनी सरकार का कोई भगोड़ा अपराधी होगा तो उसे पकड़कर कंपनी सरकार को सौंप दूगाँ।
6) मैं जैतपुर राज्य के राजमार्गो एवं घाटों की सुरक्षा का दायित्व का निर्वहन करूगाँ।
7) मेरा एक विश्वस्थ साथी सदैव कंपनी के पास सेवा करेगा।
8) मै जैतपुर दुर्ग का न तो उपयोग करूगाँ और न ही उसकी मरम्मत करवाऊगाँ।

जैतपुर राजा द्वारा उक्त इकरार किये जाने पर कंपनी सरकार ने जैतपुर राजा को 52 गाँवो पर शासन संबंधी सनद प्रदान कर दी।[12]

अजयगढ़ राज्य :–

बख्त सिंह :–

1792 ई. गुमान सिंह की मृत्यु के पश्चात् अजयगढ़ गद्दी बख्तसिंह को प्राप्त हुई। बख्त सिंह को अपने ही किलेदार लक्ष्मण दौआ के षडयंत्रो का सामना करना पडा। लक्ष्मण दौआ के कहने पर हिम्मतबहादुर ने 1803 ई. अपने डेन सेनापति कर्नल मिसिलबैक के माध्यम से अजयगढ़ पर आक्रमण कर दिया। विवश होकर बख्तसिंह ने लक्ष्मण दौआ को अपने राज्य का कामदार नियुक्त किया, उसे तीस हजार गौहरशाही रूपये बार्षिक तथा प्रशासन के अधिकार भी सौंपे। इन परिस्थितियों जब बख्तसिंह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता प्राप्त करने के लिये उनके साथ एक इकरारनाम किया।[13] अजयगढ़ के कामदार लक्ष्मण सिंह तथा कंपनी की ओर से जॉन बेली ने 9 जनबरी 1806 ई. को एक समझौता किया, जिसके अनुसार अजयगढ़ नरेश बख्तसिंह की ओर से निम्नलिखित शर्ते स्वीकार की गई।

1) मै किसी भी चोर, लुटेर, डाकु के साथ कोई संबंध नही रखूँगा।
2) मैं राजाराम, भीम दौआ गोटी जमादार आदि डाकुओं को शांति से जीवन में लौटने के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ।
3) मैं अपने राज्य में किसी तरह के चोर डाकुओं को शरण नहीं दूँगा।
4) मैं कंपनी सरकार के भगोड़े अपराधी को पकड़कर कंपनी सरकार को सौंप दूँगा।
5) मैं अपने राज्यांतर्गत आने वाले मार्गो एवं घाटों की सुरक्षा करूँगा।
6) मैं अपने राज्य में कंपनी सरकार की सेना के प्रविष्ठ होने पर उसकी सहायता करूँगा।
7) मैं जगतराज तथा पेशवा वाली हीरे की खदानों पर अधिकार नही करूँगा।
8) मैं करार के दो वर्ष पश्चात् अजयगढ़ दुर्ग को खाली कर दूँगा तथा चार हजार रूपये कर दिया करूँगा।
9) मैं अपना एक विश्वस्थ व्यक्ति कंपनी सरकार के पास सेवा के लिये रखूँगा।

इस समझौते के आधार पर कंपनी सरकार ने 1807 ई में बख्त सिंह को 608 गाँवों के क्षेत्र शामिल थे पर शासन करने के लिये अजयगढ़ राज्य की सनद प्रदान कर दी। लक्ष्मण दौआ ने जब दुर्ग पर अधिकार नही छोड़ा तब 1808 ई. में कंपनी सरकार ने उसे प्राप्त होने वाले वार्षिक तीस हजार रूपये पर प्रतिबंध लगा दिया। अतः कंपनी सरकार ने कर्नल मार्टिण्डेल के नेतृत्व में 1808 ई. में अजयगढ़ दुर्ग में मौजूद लक्ष्मण दौआ पर आक्रमण कर दिया।[14] अन्ततः कम्पनी ने 13 फरवरी 1809 को अजयगढ़ दुर्ग पर आधिपत्य कर लिया। लक्ष्मण दौआ ने अंग्रेजों के समझ समर्पण कर दिया। इस युद्ध में कंपनी सरकार के कर्नल लेफ्टीनेंट जैमीसन सहित 28 सैनिक मारे गये तथा लक्ष्मणा दौआ की ओर से साठ से भी अधिक सैनिकों को मौत के मुँह में जाना पड़ा। अजयगढ़ दुर्ग पर बख्त सिंह का आधिपत्य हो गया तथा कंपनी सरकार ने अब बख्तसिंह के साथ नये सिरे से 1812 ई. एक इकरारनामा[15] किया जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे–

1) मैं किसी भी चोर डाकु लुटेरे के साथ कोई संबंध नहीं रखूँगा।
2) मैं अपने राज्य के अर्न्तगत किसी चोर डाकू का शरण नहीं दूँगा।
3) मैं कंपनी सरकार द्वारा सुझाये जाने पर राजाराम को वही गाँव सौंप दूँगा।
4) मैं राजाराम पिण्ड़ारा डाकू को पकड़कर कंपनी को सौंप दूँगा।
5) मैं कोटरा के गोपालसिंह के विद्रोह का दमन करूँगा।
6) मैं अपने राज्यातर्गत आने वाले मार्गों एवं घाटों की सुरक्षा करूँगा।
7) मैं कम्पनी सरकार के भगोड़े अपराधी को पकड़कर कम्पनी सरकार को सौंप दूँगा।
8) मैं अपने राज्य में कंपनी सरकार की सेना के प्रविष्ट होने पर उसकी सहायता करूँगा।
9) मैं अपना एक विश्वस्त व्यक्ति कंपनी सरकार के पास सेवा के लिये रखूँगा।
10) मैं उस अधिकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खासत कर दूँगा, जो कंपनी सरकार के किसी अधिकारी के साथ अपमानजनक व्यवहार करेगा।
11) मैं तीस हजार रूपये वार्षिक पेशन की माँग नही करूँगा।

इस तरह अजयगढ़ राज्य ने अपनी सम्प्रभता अंग्रेजों के अधीन कर दी।

गरौली राज्य गोपाल सिंह :–

जब 1807 ई. में अजयगढ़ के शासक ने अंग्रेजों के साथ इकरारनामा किया और उनसे सनद प्राप्त की तो उसने चालाकी से कोटरा को अपने राज्य में दर्शा दिया जिससे गोपालसिंह क्रोधित होकर लूटपाट मचाना प्रारम्भ कर दिया। जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करते हुए जसो, पन्ना एवं अजयगढ़ राज्यों के शासको की सहमति से गरौली की जागीर गोपालसिंह को दिलवा दी। गोपालसिंह ने तत्काल ही अपनी जागीर की सुरक्षा का प्रबंध करने के दृष्टिकोण से अंग्रेजों के संबंध स्थापित किये तथा बुन्देलखण्ड़ में ईस्ट इंड़िया कंपनी सरकार के प्रतिनिधि जान रिर्चडसन से 24 फरवरी 1812 को एक समझौता कर लिया जिसमें उसने अंग्रेजों वचन दिया कि

1) मैं अथवा मेरे वंशज अब भविष्य में लूटपाट एवं अकाजनी नहीं करेंगे।
2) मैं कभी भी चोरों एवं डाकुओं को अपने राज्य में शरण नहीं दूँगा।
3) मैं कभी भी चोरों एवं डाकुओं के संपर्क में नही रहूँगा।
4) मैं अपने राज्य में स्थित कंपनी सरकार के भगोड़े अपराधियों को पकड़कर कंपनी सरकार को सौंप दूँगा।
5) मेरा एक विश्वस्त साथी सदैव कंपनी सरकार के सेवा में रहेगा।
6) मैं कंपनी सरकार की अनुमति के बगैर राज्य के बाहर नही जाऊँगा।

कम्पनी द्वारा उक्त शर्तो के पालन के आधार पर फरवरी 1812 ई. में गरौली राज्य की सनद गोपाल सिंह को प्रदान कर दी।[16] अंग्रेजों के साथ हुए इस समझौते को पन्ना नरेश किशोर सिंह ने चुनाती देते हुये अपील की कि गरौली का क्षेत्र पन्ना राज्य का हिस्सा था। अतः उसे प्राप्त होना चाहिए। किन्तु अंग्रेजों ने उसकी दलीलों को ठुकरा दिया।

विजावर राज्य :–

रतन सिंह :–

रतनसिंह के शासनकाल की प्रथम महत्वपूर्ण घटना बिजावर राज्य एवं कम्पनी सरकार के मध्य 26 मार्च 1811 ई. को परस्पर समझौता होना था। इस समझौते में विजावर नरेश ने कंपनी सरकार को निम्नलिखित वचन दिया था।

1) मैं किसी भी चोर, लुटेरे, डाकू के साथ कोई संबंध नही रखूँगा।
2) मैं कंपनी सरकार के भगोड़े अपराधी को पकड़कर कंपनी सरकार को सौंप दूँगा।

3) मैं अपने राज्य में किसी चोर, डाकू को शरण नही दूँगा।
4) मैं अपने राज्यांतर्गत कंपनी सरकार की सेना के प्रविष्ट होने पर उसकी सहायता करूँगा।
5) मैं अपने राज्यांतर्गत आने वाले मार्गो एवं घाटों की सुरक्षा करूँगा।
6) मैं अपना विश्वस्त व्यक्ति कंपनी सरकार के पास सेवा क लिये रखूँगा।
7) मैं कंपनी सरकार के मित्रों के साथ मित्रवत एवं शत्रुओं के साथ शत्रुवत् व्यवहार करूँगा।
8) मैं अपने राज्यान्तर्गत होने वाले विवादों पर कंपनी सरकार की मध्यस्थता स्वीकार करूँगा।

उक्त वचनों के आधार पर कंपनी सरकार ने बिजावर राज्य को सनद प्रदान की।

निष्कर्षः

निष्कर्षतः संधियों का अध्ययन करने से हमें बुंदेलखण्ड के राज्यों के बीच के संबंधों की समीक्षा करने का अवसर मिलता ह। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारें किस क्षेत्र में सहयोग कर रही हैं और किस क्षेत्र में विपरीतता है। यह अध्ययन हमें बुंदेलखण्ड के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और भू–राजनीतिक नीतियों को समझने में मदद करता है। हम इसे आगे बढ़ाकर क्षेत्र के विकास में सहायक साबित हो सकते हैं। इस अध्ययन के माध्यम से, हम बुंदेलखण्ड के राज्यों के बीच के संबंधों को पेशेवरीकरण, सुधार और विकास के लिए सुझाव दे सकते हैं। इससे क्षेत्र में समान और संगठित विकास हो सकता है। अध्ययन के माध्यम से हमें बुंदेलखण्ड के राज्यों की सरकारों के बीच सहमतियों और असहमतियों का भी पता चलता है, जिससे हम इसे नवाज सकते हैं और अधिक विकास की दिशा में कदम उठा सकते हैं।

संदर्भ

1 संधि राज्यों की संधियां–ओरछा, दतिया, समथर, झांसी, जालौन, पन्ना, अजयगढ़.
2 संधि राज्यों की संधिया – पन्ना चरखारी, चैतपुर राज्यों क इकरार.
3 फिलिप्स, सी.एच., – दि ईस्ट इंण्डिया कम्पनी, 1784–1835, पृष्ठ 212
4 बतरा, बी.आर. – दि टू इण्डियाज, पृष्ठ 79, 80
5 वार्नर, ली – दि प्रोटेक्टिव ऑफ इण्डिया, पृष्ठ 108
6 स्लीमेन, डब्ल्यू.एच. – दि रैम्बिल्स एण्ड रिक्लैक्शन, पृष्ठ 227
7 डिस्ट्रिक्ट गजेटियर टीकमगढ़, 1995, पृष्ठ 68
8 एचीसन, सी.यू. – ट्रीटीज इंगेजमेंट्स एण्ड एनद्स, भाग 5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कलकत्ता, 1931, पृष्ठ 13
9 तिवारी, गोरे लाल – बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ 297
10 त्रिपाठी, काशी प्रसाद – बुन्देलखण्ड का वृहद इतिहास, पृष्ठ 176
11 छतरपुर स्टेट गजेटियर, पृष्ठ 53
12 पद्माकर, कवि – हिम्मतबहादुर विरूदावली
13 त्रिपाठी, काशी प्रसाद – बुन्देलखण्ड का वृहद इतिहास, पृष्ठ 127
14 एशियाटिक सोसायटी एन्यूअल रजिस्टर वोल्यूम 11, 1808 ई., पृष्ठ 33
15 त्रिपाठी, काशी प्रसाद – बुन्देलखण्ड का वृहद इतिहास, पृष्ठ 129
16 त्रिपाठी, काशी प्रसाद – पू. कृति, पृष्ठ 164